

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.18(36)नविवि/NAHP/2014 पार्ट -05882

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

—:आदेश:—

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत विकासकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में EWS/LIG इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं करने के संबंध में गार्डलाने तैयार किये जाने बाबत निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है:—

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री रवि विजय, शासन उप सचिव— प्रथम, नगरीय विकास विभाग। | अध्यक्ष |
| 2. श्री शशीकांत, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री अंकुर दाधीच, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री नितिन नेहरा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (west) | सदस्य |
| 5. श्री अर्पित संचेती, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग। | सदस्य सचिव |

उक्त समिति 15 दिवस में रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (west)।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
9. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव— प्रथम

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :30-03-2026 01:44:13